

**कार्यालय:-श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर**

क्रमांक- 402/सीजेएम/2023

सागर, दिनांक-27.12.2023

**रिमाण्ड ड्यूटी आदेश**

मैं श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर M0PRO, माह जनवरी एवं फरवरी-2024 के अवकाश के दिनों में जिला मुख्यालय सागर एवं तहसील मुख्यालयों में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण की निम्नानुसार रिमाण्ड ड्यूटी नियत करती हूँ। अवकाश के दिनों में कॉलम क्रमांक-2 में वर्णित मजिस्ट्रेट दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक नियत स्थानों में बैठकर निम्नानुसार वर्णित तारीखों को रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।

<b>जिला मुख्यालय-सागर</b>			
क्रं.	न्यायाधीश का नाम	रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक (माह जनवरी-2024)	रिमाण्ड ड्यूटी दिनांक (माह फरवरी-2024)
1	श्रीमती उर्मिला खेड़कर	1	
2	श्रीमती मीनू पचौरी दुबे	15	
3	श्री आशीष शर्मा	20	
4	सुश्री पूजा अहिरवार	21	
5	सश्री रीना शर्मा	14	
6	श्री राहुल सोनी		17
7	सुश्री प्रीति ठाकुर	26	18
8	सुश्री विनय सिंह राजपूत		4, 25
9	सुश्री दीक्षा अग्रवाल	7	11
10	सुश्री सुरभि सिंह सुमन	28	14
<b>तहसील मुख्यालय- बीना</b>			
1.	सुश्री सौम्या साहू	7,26	11,17,18
2.	श्री विजेन्द्रसिंह रावत	1,20,21,28	14
3.	श्री आशुतोष यादव	14,15	4,25
<b>तहसील मुख्यालय- खुरई</b>			
1.	सुश्री सौम्या विजयवर्गीय	14,15,26,28	4
2.	सुश्री आरती आर्य	20,21	11,14,25
3.	सुश्री रुचिता सिंह गुर्जर	1,7	17,18
<b>तहसील मुख्यालय- बण्डा</b>			
1.	सुश्री ज्योत्सना तोमर	1,14,15,26,	4, 11, 14 25
2.	सुश्री संजना सरल	7,20,21,28	17, 18

<b>तहसील मुख्यालय-रहली</b>			
1.	सुश्री प्राची श्रीवास्तव	7,20,21,28	14,17,18
2.	श्री सतीष शर्मा	1,14,15,26	4,11,25
<b>तहसील मुख्यालय-गढाकोटा</b>			
1.	श्री आशीष धुर्वे	1,20,21,26,28	17,18,25
2.	श्रीमंति पल्लवीसिंह	7,14,15	4,11,14
<b>तहसील मुख्यालय-देवरी</b>			
1.	श्री मनोरम तिवारी	14,15,28	11, 25
2.	सुश्री प्राची कौरव	1, 20, 21	4, 14
3.	श्री सदाशिव दांगौड़े	7,26,	17, 18
<b>तहसील मुख्यालय-केसली</b>			
1.	श्री सत्यम देवलिया	समस्त अवकाश दिवसों में।	

**नोट:-**

1. रिमाण्ड ड्यूटी के समय यदि कोई मजिस्ट्रेट अवकाश पर जाते हैं तो अवकाश आवेदन में उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी हेतु सहमति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट्स की सहमति बावत आवेदन में लेख करेंगे तथा सहमत मजिस्ट्रेट की अनापत्ति भी आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। अन्य कोई विशेष अवकाश होने पर एवं ऐसा कोई अवकाश जो उपरोक्त सूची में सम्मिलित न हो, उस दिन उस मजिस्ट्रेट के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जावेगी, जिस मजिस्ट्रेट की ड्यूटी उक्त विशेष अवकाश घोषित होने के ठीक पूर्व के अवकाश की थी।
2. यदि किशोर न्याय बोर्ड के पीठासीन अधिकारी एवं सदस्य अवकाश के दिनों में उपलब्ध नहीं होते हैं तो कार्य विभाजन पत्रक के सामान्य आदेश के नोट क्रमांक-1 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड का रिमाण्ड कार्य भी सम्पादित किया जावे।
3. समस्त मजिस्ट्रेट को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अर्जित अवकाश/मेडीकल अवकाश/सी.सी.एल./अन्य लम्बी अवधि के अवकाश हेतु आवेदन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को प्रेषित किया जाता है, और उक्त अवकाश स्वीकृति की सूचना के पूर्व यदि रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश में उस मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई जाती है और रिमाण्ड ड्यूटी लगने के बाद उक्त मजिस्ट्रेट का अवकाश स्वीकृत हो जाता है तो उस अवकाश हेतु आवेदन पेश करने वाले मजिस्ट्रेट का कर्तव्य होगा कि वह इस कार्यालय को अवकाश स्वीकृति की सूचना तत्काल प्रेषित करें, जिससे कि उनके स्थान पर अन्य मजिस्ट्रेट को रिमाण्ड ड्यूटी हेतु आदेशित किया जा सके।

4. रिमाण्ड मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी दिवस में रिमाण्ड ड्यूटी के साथ-साथ प्रोटोकॉल ड्यूटी में भी सहयोग करेंगे।
5. समस्त मजिस्ट्रेट को यह भी आदेशित किया जाता है कि वे बिना अनुमति के किसी भी स्थिति में मुख्यालय न छोड़ें।

*KL*  
(श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर

प्रतिलिपि :-

1. माननीय श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सागर।
2. श्रीमान् सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर
3. रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट सागर।
4. समस्त मजिस्ट्रेट जिला सागर
5. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, सागर/खुरई/बीना/बण्डा/गढ़ाकोटा/रहली/देवरी/केसली
6. जूनियर एनॉलिस्ट, कम्प्यूटर शाखा, सागर को समस्त मजिस्ट्रेट को मेल करने हेतु।

*KL*  
(श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर

